

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्गा/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 42]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 17 अक्टूबर 2025—अश्विन 25, शक 1947

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 13 अगस्त 2025

क्रमांक ESTB(1)/91/2025-GAD-2.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 11-04-2025 द्वारा श्रीमती आर. शंगीता, भा.प्र.से. (2005) को दिनांक 24-04-2025 से दिनांक 08-08-2025 तक स्वीकृत संतान पालन/अर्जित अवकाश की निरंतरता में दिनांक 09-08-2025 से 14-08-2025 तक (दिनांक 15, 16 एवं 17 अगस्त, 2025 के राजपत्रित अवकाश को जोड़ते हुए) 06 दिवस का अर्जित अवकाश में वृद्धि किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्वेष घृतलहरे, उप-सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 25 सितम्बर 2025

क्रमांक/एफ 7-02/2022/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्वारा श्रीमती रत्ना सिंह (भापुसे-2019), सहायक पुलिस महानिरीक्षक, प्रशासन, पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर को दिनांक 15-09-2025 से 23-09-2025 (कुल 09 दिवस) तक का अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है। साथ ही दिनांक 13 एवं 14 सितम्बर 2025 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती रत्ना सिंह, भापुसे (2019) आगामी आदेश तक सहायक पुलिस महानिरीक्षक, प्रशासन, पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगी।
3. अवकाश अवधि में श्रीमती सिंह को अवकाश वेतन एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में प्रस्थान करने से पूर्व प्राप्त होते थे।
4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सिंह (भापुसे) अवकाश पर नहीं जातीं तो वे अपने पद पर यथावत कार्यरत रहतीं।
5. श्रीमती रत्ना सिंह (भापुसे-2019), सहायक पुलिस महानिरीक्षक, प्रशासन, पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर, छ.ग. के उक्त अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री अंशुमान सिसोदिया (रापुसे), सहायक पुलिस महानिरीक्षक (लेखा/कल्याण), पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर, छ.ग. को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. एस. ध्रुवे, अवर सचिव.

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 22 सितम्बर 2025

F. No. GENCOR-3506/19/2025-FOREST.—राज्य शासन एतद्वारा इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ 8-21/2005/10-2, दिनांक 09 जनवरी, 2020 को अधिक्रमित करते हुए, छत्तीसगढ़ जैव विविधता नियम 2015 के नियम 6 एवं 8 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ जैव विविधता बोर्ड का निम्नानुसार पुनर्गठन करता है :—

1. **अध्यक्ष :—**
श्री राकेश चतुर्वेदी, सेवानिवृत्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख छत्तीसगढ़ — अध्यक्ष
2. **पदेन/शासकीय सदस्य :—**
 - (1) आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग — सदस्य
 - (2) प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीवन एवं जैव विविधता संरक्षण) सह मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, छत्तीसगढ़ — सदस्य
 - (3) संचालक, संचालनालय कृषि — सदस्य
 - (4) संचालक, उद्यानिकी विभाग — सदस्य
 - (5) राज्य शासन द्वारा नियुक्त/नामित मुख्य वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक — सदस्य सचिव

3. **विशेषज्ञ/अशासकीय सदस्य :—**
- | | | | |
|-----|---|---|-------|
| (1) | डॉ. एस.के. श्रीवास्तव, पूर्व वैज्ञानिक 'ई' बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, टैक्सोनॉमी विशेषज्ञ | — | सदस्य |
| (2) | श्री जितेन्द्र पाली, अधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर (विधि विशेषज्ञ) | — | सदस्य |
| (3) | श्री ए. बी. आसना, सेवानिवृत्त असिस्टेंट डायरेक्टर, कृषि विभाग | — | सदस्य |
| (4) | डॉ. एम.एल. नायक, पूर्व विभागाध्यक्ष (स्कूल ऑफ लाईफ साइंस) रायपुर | — | सदस्य |
| (5) | श्री अशोक तिवारी, (से.नि.) क्यूरेटर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल | — | सदस्य |
2. उपरोक्तानुसार अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति अवधि निम्नानुसार रहेगी :—
- अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड की नियुक्ति अवधि शासन के आदेश क्रमांक एफ 8-21/2005/10-2, दिनांक 14-11-2022 के अनुसार रहेगी.
 - पदेन शासकीय सदस्यों की नियुक्ति अवधि आगामी आदेश तक रहेगी.
 - विशेषज्ञ/अशासकीय सदस्यों की नियुक्ति अवधि छत्तीसगढ़ जैव विविधता नियम 2015 के नियम 6(2) में प्रावधान अनुसार आदेश जारी दिनांक से तीन वर्ष तक रहेगी.
3. छत्तीसगढ़ जैव विविधता बोर्ड के पुनर्गठन हेतु समन्वय में माननीय मुख्यमंत्रीजी का अनुमोदन प्राप्त किया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रणय मिश्र, संयुक्त सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 25 सितम्बर 2025

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 1402/202507042100033/अ-82/2024-25.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	त्रिभौना प.ह.नं. 38	0.048	कार्यपालन अभियंता, केलो परि-योजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़ जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	केलो परियोजना तेलीपाली वितरक नहर के त्रिभौना लघु नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मयंक चतुर्वेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 25 सितम्बर 2025

क्रमांक/05/अ-82/2024-25.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	सकरी	खरकेना प.ह.नं. 36	0.036	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना अंतर्गत नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तखतपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 25 सितम्बर 2025

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 59 अ-82/2017-18.—उपर्युक्त भू-अर्जन प्रकरण में कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग कोटा जिला बिलासपुर द्वारा ग्राम खरकेना प.ह.नं. 36, तहसील सकरी जिला बिलासपुर स्थित निजी भूमि खसरा नंबर 645/8 रकबा 0.09 एकड़/0.036 हेक्टर भूमि को अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के तहत नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन के प्रस्ताव के आधार पर भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 प्रारंभिक अधिसूचना तथा धारा 19 की अधिसूचना का प्रकाशन प्रावधानों के अनुसार किया जाकर छत्तीसगढ़ राजपत्र में क्रमशः 29-06-2018 तथा दिनांक 19-10-2018 को कराया गया है.

चूंकि अब कार्यपालन अभियंता जल संसाधन कोटा के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही हेतु प्रकरण में सम्मिलित उक्त भूमि खसरा नंबर 645/8 का रकबा 0.09 एकड़/0.036 हेक्टेयर जो कि खसरा नंबर 645/1 का बटांकन अंश भाग होने के कारण खसरा नंबर 645/8 में अर्जित रकबा 0.09 एकड़ को भू-अर्जन से मुक्त करने के अनुरोध पर भू-अर्जन अधिनियम की धारा 93 के अनुसार प्रत्याहरण किया जाता है.

1. प्रत्याहरण हेतु भूमि का विवरण

ग्राम-खरकेना, तहसील-सकरी, जिला-बिलासपुर

क्रमांक	खसरा नंबर	रकबा
1.	645/8	0.09 एकड़/0.036 हेक्टेयर

2. भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त किये जाने हेतु भूमि का ब्यौरा अनुविभागीय अधिकारी (रा.) तखतपुर जिला बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) एवं पदेन उप सचिव, छ.ग. शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग,
जिला सूरजपुर (छ.ग.)

सूरजपुर, दिनांक 1 सितम्बर 2025

प्रारूप-V
(नियम 10 देखें)
(अंतर्गत धारा 19)

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 1589/202303260300120/अ-82/2022-23.—जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्राम सरस्वतीपुर से रामनगर तक 3.77 कि.मी. लम्बी सड़क निर्माण हेतु) ग्राम-सरस्वतीपुर तहसील-सूरजपुर जिला सूरजपुर (छ.ग.) के कुल 0.882 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, अर्थात्

इसलिए घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड है, जो 0.882 हेक्टेयर है जो ग्राम सरस्वतीपुर, तहसील सूरजपुर, जिला सूरजपुर (छ.ग.) में स्थित है, जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है :—

क्र	सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र हेक्टेयर में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम पता	सीमाएं			
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम
1	113	भूस्वामी	सिंचित	0.02	परमेश्वर आ. असीमन, रजनी बेवा असीमन जाति-कैवट सा.देह	पूर्णिमा चौबे-206	पूर्णिमा चौबे-206, अजय अग्रवाल-205	पूर्णिमा चौबे-206	शेष भूमि
	204		सिंचित	0.039		अजय अग्रवाल-205	करनसाय-203	शिवलोचनी वगै.-202/3	शेष भूमि
	208		सिंचित	0.039		रास्ता-49	करनसाय-207	कुंती अवस्थी-210	शेष भूमि
2	130	भूस्वामी	सिंचित	0.014	उदय सिंह आ.विक्रम सिंह जाति-गोंड सा.देह	नाधिया रो-153	परमानन्द वगै.-131	शोभा सोनी-151/1	शेष भूमि
3	131	भूस्वामी	सिंचित	0.015	परमानन्द, प्यारी आ. रामचरन, रिवेन्दर कुमार सिंह, खेलसाय आ. मानसाय, कुंती बेवा मानसाय जाति-गोंड सा. देह	उदय सिंह-130	उमेश वगै.-132	मीरा देवी-151/2	शेष भूमि

4	132	भूस्वामी	सिंचित	0.013	उमेश सिंह आ. शिवमंगल, रम्बेस बेवा शिवमंगल जाति-गोंड सा.देह	परमान न्द वगै.- 131	भइयालाल वगै.-135	मदन शर्मा वगै.- 150/1, बबलू शर्मा- 150/2, जगनी देवी- 150/3, देवन्ती देवी- 150/4, हर्ष तिवारी- 150/5	शेष भूमि
5	149	भूस्वामी	सिंचित	0.038	अजय कुमार अग्रवाल आ. भोला प्रसाद अग्रवाल सा.सूरजपुर	हर्ष तिवारी- 150/5	कामेश्वर वगै.-140/1	शेष भूमि	भइयाला ल वगै.- 135
	205		सिंचित	0.021		परमेश्वर वगै.- 113	परमेश्वर वगै.-204	पूर्णिमा- 206, शिवलोचनी वगै.- 202/1, सुखराम वगै.- 202/2	शेष भूमि
6	150/1	भूस्वामी	सिंचित	0.011	मदन शर्मा वगै. आ. गिरजा शर्मा, बसंत शर्मा आ.अलकदेव शर्मा जाति-बढ़ई सा.सूरजपुर	मीरा देवी- 151/2	बबलू शर्मा- 150/2	शेष भूमि	परमान न्द वगै.- 131 ,उमेश वगै.- 132
7	150/2	भूस्वामी	सिंचित	0.01	बबलू शर्मा आ. गिरजा शर्मा जाति-बढ़ई सा.सूरजपुर	मदन शर्मा वगै.- 150/1	जगनी देवी- 150/3	शेष भूमि	उमेश वगै.- 132

8	150/3	भूस्वामी	सिंचित	0.01	जगनी देवी पति अखिलेश शर्मा जाति- बढ़ई सा.सूरजपुर	बबलू शर्मा- 150/2	देवन्ती- 150/4	शेष भूमि	उमेश वगै.- 133
9	150/4	भूस्वामी	सिंचित	0.013	देवन्ती देवी पति रामबदन जाति-बढ़ई सा.सूरजपुर	जगनी देवी- 150/3	हर्ष तिवारी- 150/5	शेष भूमि	उमेश वगै.- 134
10	150/5	भूस्वामी	सिंचित	0.01	हर्ष तिवारी आ. मुनेश्वर तिवारी सा.सूरजपुर	देवन्ती- 150/4	अजय अग्रवाल- 149	शेष भूमि	उमेश वगै.- 132 ,भइया लाल वगै.- 135
11	151/1	भूस्वामी	सिंचित	0.015	श्रीमती शोभा सोनी पति गणेश प्रसाद सोनी जाति-सोनार सा.देह	नाधियारो -153	मीरा देवी- 151/2	शेष भूमि	उदय सिंह- 130
12	151/2	भूस्वामी	सिंचित	0.015	श्रीमती मीरा देवी पति अनिल कुमार गुप्ता सा.देह	शोभा सोनी- 151/1	मदन शर्मा वगै. वगै.- 150/1	शेष भूमि	परमानन्द वगै.- 131
13	153	भूस्वामी	सिंचित	0.044	नाधियारो पति आलमसाय, चमरू आ. आलम जाति-कैवट सा.देह	रामप्रसाद -154/4	शोभा सोनी- 151/1	अनुपसाय -152	शेष भूमि
14	154/1	भूस्वामी (व्यपवर्तित)	सिंचित	0.011	सरस्वती सोनी पति प्रभुदयाल सोनी जाति- सोनार सा.सूरजपुर	उदेशिया वगै.- 155	सरस्वती सोनी-154/2	अनुपसाय -152	शेष भूमि
	154/2		सिंचित	0.011		सरस्वती सोनी- 154/2	अरविंद मिश्रा वगै.- 154/3	अनुपसाय -152	शेष भूमि
15	154/3	भूस्वामी (व्यपवर्तित)	सिंचित	0.005	अरविन्द मिश्रा आ. हृदयनारायण मिश्रा ,संजय चौबे आ. रामसूरत चौबे जाति- ब्राम्हण सा.सूरजपुर	सरस्वती सोनी- 154/1	रामप्रसाद	अनुपसाय -152	शेष भूमि
16	154/4	भूस्वामी	सिंचित	0.013	रामप्रसाद आ. शिवमंगल जाति-कैवट सा.देह	रामप्रसाद -154/5	नाधियारो- 153	अनुपसाय -152	शेष भूमि
	154/5		सिंचित	0.005		अरविंद मिश्रा वगै.- 154/3	रामप्रसाद- 154/4	अनुपसाय -152	शेष भूमि

17	155	भूस्वामी	सिंचित	0.02	उदेशिया ,रमदेशिया पुत्री चहैता जाति-कैवट सा.देह	अनुपसाय -156	सरस्वती सोनी-154/1	सरजू वगै.- 168	शेष भूमि
18	156	भूस्वामी	सिंचित	0.015	अनुपसाय आ. नारायण जाति-कैवट सा.देह	मंगलराम -166	उदेशिया वगै.-155	सरजू वगै.- 168	शेष भूमि
	167		सिंचित	0.069		करनसाय -203	सरजू वगै.- 168	सरजू वगै.- 168	शेष भूमि
19	166	भूस्वामी	सिंचित	0.03	मंगल राम आ. गंगा राम जाति-कैवट सा.देह	करनसाय -203	सरजू वगै.- 168	अनुपसाय -167	शेष भूमि
	209		सिंचित	0.015		रास्ता- 49	कुंती अवस्थी-210	शेष भूमि	परमेश्वर वगै.- 208
20	168	भूस्वामी	सिंचित	0.059	सरजू आ. चमरु ,अम्बिका आ. चमरु ,सोनमेत बेवा चमरु जाति-कैवट सा.देह	शिवलोचनी वगै.- 202/3	अनुपसाय- 152	शेष भूमि	अनुपसाय -170
21	202/1	भूस्वामी	सिंचित	0.058	शिवलोचनी पति आनंद सिंह, बिरहुल आ.आनंद	पूर्णमा चौबे- 206	सुखराम वगै.-202/2	शेष भूमि	अजय अग्रवाल -205
	202/3		सिंचित	0.002	सिंह,ना.बा.शिवलोचन आ.सुरेश वली शिवलाल सिंह आ. सुरेश ,ना.बा.शिवबाचन आ.सुरेश वली शिवलाल सिंह आ. सुरेश जाति-गोंड सा.देह	सुखराम वगै.- 202/2	सरजू वगै.- 168	शेष भूमि	परमेश्वर वगै.- 204, करनसाय -203
22	202/2	भूस्वामी	सिंचित	0.012	सुखराम सिंह आ. रामप्यारी ,शिवराम सिंह आ. रामप्यारी जाति-गोंड सा.देह	शिवलोचनी वगै. 202/1	शिवलोचनी वगै.-202/3	शेष भूमि	अजय अग्रवाल -205
23	203	भूस्वामी	सिंचित	0.032	करनसाय आ. रामसहाय जाति-कैवट सा.देह	परमेश्वर वगै.- 204	अनुपसाय	शिवलोचनी वगै.	शेष भूमि
	207		सिंचित	0.014		परमेश्वर वगै.- 208	पूर्णमा चौबे-206	कुंती अवस्थी- 210	शेष भूमि
24	206	भूस्वामी	सिंचित	0.1	पूर्णमा चौबे पति राजेश कुमार चौबे जाति-ब्राम्हण सा.सूरजपुर	मंगल वगै.- 211	शिवलोचनी वगै.- 202/1, अजय अग्रवाल- 205	शेष भूमि	शेष भूमि परमेश्वर वगै.- 113

25	210	भूस्वामी	सिंचित	0.072	कुन्ती अवस्थी पति विनोद अवस्थी जाति- ब्राम्हण सा.सूरजपुर	मंगलराम- 209/1	मंगल वगै.- 211	शेष भूमि	परमेश्वर वगै.- 208, करनसाय- 207
26	211	भूस्वामी	सिंचित	0.012	मंगलसाय शिवबरन आ. अस्सीराम , पन्मेश्वरी,इन्जोरिया पुत्री अस्सीराम ,सुखलाल आ. गेंदा ,रामकेश्वर ,रामेश्वर आ. सहल मुन्नीबाई नीन्त बाई मु.सहलराम राजाराम आ. सहल जाति-कैवट सा.देह	कुन्ती अवस्थी- 210	पूर्णमा चौबे-206	शेष भूमि	पूर्णमा चौबे- 206
कुल रकबा				0.882					

वृक्ष निरंक

संरचनाएं निरंक

यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात की गयी है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित कुटुम्ब की संख्या निरंक है।

ग्राम सरस्वतीपुर तहसील सूरजपुर, जिला सूरजपुर (छ.ग.) के कुल 0.882 हेक्टेयर भूमि में किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खाने हैं, खन और खनिज के ऐसे भागों, में जिन्हें उस प्रयोजन जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।

अनुविभागीय अधिकारी रा. सूरजपुर एवं भू-अर्जन अधिकारी सूरजपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

एस. जयवर्धन,
कलेक्टर.

कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख शाखा जिला रायगढ़ (छ.ग.)

रायगढ़, दिनांक 8 सितम्बर 2025

क्रमांक/124/स.अ.भू.अ./2025.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 धारा 108 में निर्दिष्ट शक्तियों को प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लेखित ग्राम/क्षेत्र हेतु उसके कॉलम (3) में उल्लेखित अधिकारी द्वारा अधिकार अभिलेख बनाए जाए.

अनुसूची
तहसील-घरघोड़ा, जिला-रायगढ़

क्र.	पटवारी हल्का क्रमांक सहित गांव/क्षेत्र का नाम	अधिकार अभिलेख बनाने हेतु प्राधिकृत अधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)
1.	प.ह.नं. 07 ग्राम कांटाझरिया का आश्रित पारा/मोहल्ला सिंघनपुर का भू-सर्वेक्षण के अधीन रकबा 50.515 हेक्टेयर	उप सर्वेक्षण अधिकारी सह अनुविभागीय अधिकारी (रा.), घरघोड़ा

रवि राही,
अपर कलेक्टर एवं
जिला सर्वेक्षण अधिकारी

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 22nd July 2025

No. 13749/Checker/III-6-1/2007 (Pt.I).—In exercise of the powers conferred under sub section (3) of Section 9 read with Section 26 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, the High Court of Chhattisgarh hereby confers the powers of Judicial Magistrate First Class upon Miss Suniti Netam, J.M.S.C., Nanker.

Bilaspur, the 11th August 2025

No. 1032/Confdl./2025/II-1-4/2023.—It is hereby notified that pursuant to the Notification No. K-13016/01/2025-US.II dated 08-08-2025 issued by the Joint Secretary to the Government of India, Ministry of Law and Justice, Department of Justice (Appointments Division), New Delhi, Hon'ble Shri Justice Ravindra Kumar Agrawal, Additional Judge has assumed charge of the office of Judge of the High Court of Chhattisgarh on 11th August, 2025 in the forenoon.

Bilaspur, the 12th August 2025

No. 1035/Confdl./2025/II-2-90/2001 (Part-V).—Shri Anil Kumar Pandey, Member of Higher Judicial Service and presently Posted as Additional Registrar (D.E. & E.) in the Establishment of the High Court is now appointed as Registrar (Establishment) from the date he assumes charge of his office. He is also directed to look after the work related to the District Establishment Section of the Registry, in addition to his own duties, till further orders.

By order of Hon'ble the Chief Justice,
MANEESH KUMAR THAKUR, Registrar General.

Bilaspur, the 13th August 2025

No. 14/L.G./2025/II-2-5/2015.—Shri Maneesh Kumar Thakur, the then principal District & Sessions Judge, Bastar (Jagdalpur) is hereby, granted earned leave for 03 days from 29-12-2024 to 31-12-2024 in continuation of winter vacation along with permission to remain out of headquarters.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Thakur, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 13th August 2025

No. 15/L.G./2025/II-3-26/2012.—Shri Vinod Kumar Dewangan, Judge, Family Court, Dhamtari is hereby, granted earned leave for 04 days from 01-01-2025 to 04-01-2025 in continuation of winter vacation along with permission to remain out of headquarters from 01-01-2025 to 05-01-2025 and earned leave for 07 days from 07-06-2025 to 13-06-2025 in continuation of summer vacation from 02-06-2025 to 06-06-2025 along with permission to remain out of headquarters till 15-06-2025.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Dewangan, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 285 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 13th August 2025

No. 16/L.G./2025/II-2-8/2021.—Shri Rajeev Kumar, the then Judge, Family Court, Bastar (Jagdalpur) is hereby, granted earned leave for 03 days from 23-12-2024 to 25-12-2024 along with permission to remain out of headquarters from 21-12-2024 to 25-12-2024 and earned leave for 05 days from 14-07-2025 to 18-07-2025 along with permission to remain out of headquarters from 12-07-2025 to 20-07-2025.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Rajeev Kumar, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 142 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

By order of the High Court,
SANTOSH THAKUR, Additional Registrar (ADMN.)
